अध्यक्ष महोदय: मैं ने इस को देखा । इस बारे को मैं कैसे इकट्ठा करूं ? एक में उन की स्मग्लर्स ने पिटाई की, इस का मामला है, दूसरे में पुलिस आफिसर की लड़की का मामला है। ये सब इकट्ठा कैसे हो सकता है ? तो यह तो बनता नहीं है। लेकिन वह वीटिंग आफ दि प्रैस मैन जो है उस के लिए मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि उस के ऊपर एक एक स्टेटमेंट वह दें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं अपने आप को पहली घटना तक ही सीमित रख रहा हूं। 8-9 अगस्त की रात को अहमदाबाद में टाइम्स आफ इंडिया के एक संवादाता को पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये कि पुलिस की फेल्योर कहां है जब पुलिस वाले की लड़की को छेड़ने का मामला है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह छोड़ दीजिये। मैं पहले मामले को ले रहा हूं।

8 तारीख को क्या हुआ यह बड़ी गंभीर बात है। टाइम्स आफ इंडिया के एक कॉरेस्पांडेंट है जो नव निर्माण समिति के आन्दोलनों के दिनों में पुलिस के खिलाफ लिखते थे जिन्होंने बम्बई के अखबारों में भी पुलिस की व्यवस्था के खिलाफ लेख लिखे। पुलिस वाले उन से नाराज़ थे और उन को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उस में भी एक लड़की को बीच में लाने की कोशिश की गई। जब प्रेस वाले दूसरे थाने में गए कि हम दूसरी रिपोर्ट लिखाएंगे तो पुलिस अफसर ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। उसी रात के 3 बजे वे गवर्नर के एडवाइज़र के घर पर गये और एडवाइज़र से मिलने की मांग की। मुलाकात नहीं हुई। एडवाइज़र के सैक्रेटरी भी नहीं मिले और पुलिस ने वहां 25 प्रैस वालों को पीटा। जन्मभूमि के जो संवादाता है श्री रवीन्द्र भट्ट उन को बहुत चोटें आई और वे अस्पताल में भर्ती हुये। अब गुजरात के अखबार वाले यह मांग कर रहे हैं कि सारे मामले की एक अदालती जांच होनी चहिये। लेकिन अदालतो जांच की इजाजत नही दी गई और पुलिस वाले बदले निकाल रहे हैं गिन-गिन कर प्रैस वालों से। यह मामला सदन में भी कई बार उठाया जा चुका है लेकिन गृह मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में होम मिनिस्टर से कहूंगा कि एक बयान दें।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : मैं इस पक्ष में हूं कि केवल वक्तव्य इस संबंध में सदन के सामने आना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम लोगों को भी उस में कुछ कहना होगा तब ? . . . (**व्यवधान**)

12.06 hrs.

RE. PRESENCE OF SMUGGLERS IN DELHI

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, आप का तो प्रिविलेज नहीं बनता है।

श्री मधु लिमये (बांका) : आप मुझे अर्ज़ करने दीजिए। आप को अगर स्वीकार न हो तो वह बात अलग है। मैं कभी आप से असहमति व्यक्त नही करता हूं।

मुझे जानकारी मिली है कि श्री गणेश के पत्र द्वारा स्मग्लरों के नाम लेने के बाद—सरकार के द्वारा, हम लोग लेते तो बात दूसरी थी—ये स्मग्लर या तो भाग गए या कुछ यहां पर आए हैं। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। वे मिनिस्टरों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट को अप्रोच कर रहे हैं।. . . (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : ये मेम्बरों के नाम बताएं कि किन किन मेम्बरों से मिल रहे हैं ? इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। सारे सदस्यों को ये इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते . . . (**व्यवधान**) .

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि किस किस से मिले है, वह आप बता दीजिये।

श्री मधु लिमये : इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं होगा. .(**व्यवधान**) . . मैं केवल अध्यक्ष महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजधानी में स्मग्लर आये हैं। जिन के नाम लिये गये है। यह आज अखबारों में भी प्रकट हुआ है . . (**व्यवधान**) . . . मेरे पास आने की उन की हिम्मत है ? आप बेकार की बात कर रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि अखबारों में खबर आई है कि स्मगलर राजधानी में आये है : सरकार की बदनामी इस में है, पार्लियामेंट की बदनामी है।

अध्यक्ष महोदय : आप को पता होगा कि मिनिस्टर तो नाम नहीं ले रहे थे, आप लोगों ने उन को मजबूर किया कि नाम बताएं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, कल मेरे मित्र मधु दण्डवते ने डिप्टीस्पीकर के मार्फत इस सदन का ध्यान इस तरफ खींचा था। अखबारों में खबर आई है कि सरकार ने कबूल किया है कि स्मग्लर आये हुये हैं। और रात दिन हवाई अड्डे पर वे पहरा दे रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी पैसे की यह बरबादी है। वे स्मग्लर है तो उन को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिये और उन को यहां भ्रष्टाचार फैलाने का मौका नहीं देना चाहिये यह मैं कह रहा हूं मैं किसी मेम्बर के खिलाफ इस वक्त आरोप नहीं कर रहा हूं मैं यह बात कह रहा हूं कि स्मग्लरों को घूसखोरी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैलाने का मौका नहीं देना चाहिये।

MR. SPEAWER: It is not a question of privilege.

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : श्री मधु लिमये। की सोर्स आफ इन्फार्मेशन क्या है ?

श्री मधु लिमये : सरकार है। कांग्रेस के मिनिस्टरों ने मुझको यह कहा मैं नाम नहीं लेना चाहता। (. . . . **व्यवधान**)

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra): Why does he not give the names?

SHRI MADHU LIMAYE: I can give the names to the Speaker, not to you.

मैं एक बात कह कर खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से केवल एक विनती करना चाहता हूं आप इसके बारे में गृहमंत्री और वित्तमंत्री से वक्तव्य दिलवायें और इनको तत्काल गिरफ्तार करवायें।

श्री प्रबोध चन्द (गुरदासपुर) : जनाब मेरा भी एक प्रिवलेज का मोशन है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नहीं आया।

SHRI PRABODH CHANDRA: I had given the notice yesterday to the Secretary-General. This is about the misconduct of a member of the House who wastes the time of the House daily—Mr. Jyotirmoy Bosu. This may be referred to the Privileges Committee.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जब मैं घर गया तो मालूम हुआ कि हाजी मस्तान का फोन आया है बाद में मालूम हुआ कि वह हाजी मनीर का था।

अध्यक्ष महोदय : हाजी मस्तान का नाम पहली बार नहीं आया है, मिनिस्टर के नाम लेने से पहले भी कई दफा नाम आ चुका है। आप हाजी मस्तान का टेलीफोन क्यों सुनते हैं। आप कहते है कि आप का टेलीफोन टैप होता है आप प्राइम मिनिस्टर का करते हैं। और कहते हैं कि हम ने उन को हाजी मस्तान को टेलीफोन करते सुना है, यह शिकायत आप करते हैं। और करते खुद उल्टा हैं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय इस देश का मखौल हो रहा है जिन को सरकार स्मग्लर कह कर उन का नाम लेती है, वे राजधानी में घूम रहे हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : घूम रहे हैं तो जरूर पकड़वाइये, इस काम में मदद कीजिये।

श्री मधु लिमये : मैं भी तो यही कह रहा हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि ऐसे लोगो को जरूर पकड़ें। आप इसमें मदद कीजिये।

श्री मधु लिमये : सरकार पकड़े। मैं कोई पुलिस आफिसर नही हूं।

SHRI K. LAKAPPA (Tumkur): I have a submission to make. I have given notice of a call-attention motion regarding Krishna water dispute. That may please be admitted, Sir.

MR. SPEAKER: No, please. It cannot come up again. This is not a recommenddation to be made in the House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I have received a telegram from Mr. Uppal Dutt about the deliberate interference by the Youth Congress.... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: A statement is coming on that.

Papers to be laid on the table.

12.14 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

'EXPORT OF STEEL WIRE ROPES (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) RULES, 1974]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): On behalf of Prof. D. P. Chattopadhyaya, I beg to lay on the Table a copy of the Export of Steel Wire Ropes (Quality Control and Inspection) Rules, 1974 (Hindi and English versions), published in Notification No. S. O. 1990 in Gazette of India dated the 10th August, 1974 under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-8346/74].

[REPORTS OF MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES COMMISSION].

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS SHRI BEDABRATA BARUA): I beg to lay on the Table a copy of each of the following Reports (Hindi versions) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission under section 62 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:—

(1) Report under section 21 (3) (b) of the said Act in case of M/s Dunlop India Limited, and other Order dated 8-1-1973 of the Central Government thereon, together with a copy of letter dated 9-5-1973 from the Ministry of Law, Justice & Company Affairs to M/s Dunlop India Limited, Calcutta.

(2) Report under section 21(3) (b) of the said Act in the case of M/s Automobile Products of India Limited and M/s Bajaj Auto Limited, and the Order dated 30-11-1972 of the Central Government thereon together with corrigendum dated 1-1-1973.

(3) Report under section 21(3) (b) of the said Act in the case of M/s Hindustan Aluminium Corporation Limited Bombay and the Order dated 31-7-1973 of the Central Government thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-8347/74]

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Yesterday I received a telegram from Shri Utpal Dutt a well-known play-wright and dramatist about the deliberate interference by the Youth Congress and the Chhatra Parishad people....